(01)

समाहरणालय; मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
संकलन संख्या 43-416

01. मानवाधिकार क्या है ?

उत्तर मानवाधिकार वे अधिकार है जो किसी को भी मनुष्य रूप में जन्म लेने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार राष्ट्र की सीमा से परे सम्पूर्ण विश्व में प्राप्त है। मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध में हुये अत्याचारों एवं मानव उत्पीड़न के पश्चात अवतरित होती है। उत्पीड़न की पराकाष्ठा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने निश्चय किया कि सभी मनुष्यों को गरिमापुर्ण जीवन का अधिकार होना चाहिए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा की गई। इसी कारण 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया।

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया है। 'मानवाधिकार' मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (घ) में पारिभाषित है। मानवाधिकार, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से संबंधित वे अधिकार है, जो न्यायालय द्वारा लागू की जा सकती है। पेंशन, पुलिस ज्यादती, अभिरक्षा में यातना, मुठभेड़ में मृत्यु, पुलिस या अन्य पदाधिकारी/ लोकसेवक द्वारा उत्पीड़न, रिमांड होम एवं कारागारों की स्थिति, दहेज मृत्यु एव दहेज की मांग, महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या और अत्याचार, बाल मजदूर एवं बंधुआ मजदूर, बाल विवाह, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, स्वच्छता, पर्यावरण, मजदूर वर्ग की दशा, चिकित्सकीय लापरवाही आदि को मानवाधिकार संबंधी मामला माना जा सकता है।

02. बिहार मानवाधिकार आयोग का क्या-क्या कार्य करता है ?

उत्तर बिहार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार कार्य करता है। आयोग के मुख्य कार्य निम्नांकित है :-

(क) स्वप्रेरण से अथवा किसी पीड़ित अथवा उसके/ ओर से किसी व्यक्ति द्वारा

(i) मानवाधिकारों का उल्लंघन अथवा दुष्प्रेरण (abetment) अथवा

(ii) ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक द्वारा लापरवाही से संबंधित अर्जी प्रस्तुत किये जाने पर जाँच-पड़ताल करना।

(ख) मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी कार्रवाई में दखल देना (यदि कार्रवाई किसी न्यायालय में लम्बित है तो उस न्यायालय के अनुमोदन पश्चात्)

(ग) मानवाधिकार के संरक्षण के लिए संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधीन उपबंधित रक्षोपायों (safeguard) का पुनर्विलोकन करना।

(घ) उन बातों का पुनर्विलोकन करना जो मानवाधिकारों के उपभोग में अवरोध पैदा करती है।

(ड़) मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना।

(च) मानवाधिकार का प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इनके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरुकता को बढ़ावा देना।

(ज) अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझें।

इन कार्यों को करने के लिए आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे कि :-

(क) गवाहों को सम्मन करना, उनकी उपस्थिति को बाध्य (enforce) करना एवं शपथ पर उनको परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उपलब्ध कराना।

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि मांगना।

(ड़) साक्ष्यों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन बहाल करना।

03. **कोई पीड़ित व्यक्ति आयोग से कैसे मदद प्राप्त कर सकता है ?**

उत्तर कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपना आवेदन/ परिवाद डाक/ फैक्स/ E-mail के माध्यम से अथवा आयोग में हाथोहाथ दे सकता है। महत्वपूर्ण मामलों पर आयोग में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। आयोग का पता- बिहार मानवाधिकार आयोग, 9, बेली रोड, पटना 800015, फैक्स नं०- 0612-2232280 तथा E-mail- sec-bhrc@nic.in है। आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आयोग के बेवसाइट- bhrc.bih.nic.in & www.bhrcpatna.in पर भी उपलब्ध है। मानवाधिकार आयोग के कार्यों की जानकारी सुलभ कराने हेतु ANDROID APP का निर्माण कराया जा रहा है। आयोग का एक हेल्प लाईन नं०- 0612-2232280 शुरू किया गया है जिस पर फोन कर परिवादी आपने मामले कि स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

04. **मानवाधिकार आयोग की उपयोगिता क्या है ?**

उत्तर मानवाधिकार आयोग सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। जिन मामलों में लोगों को न्याय नहीं उपलब्ध हो पा रहा है अथवा लोक प्राधिकार कार्रवाई नहीं कर रहा है, उन मामलों में आयोग के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। बिहार मानवाधिकार आयोग लोगों में मानवाधिकार के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए प्रयास-रत है। आम जनता में मानवाधिकारों के प्रति अभी भी जागरुकता नहीं है और वे अपने अधिकारों से परिचित नहीं है। इससे इन्हें अपने अधिकारों के हनन की जानकारी ही नहीं होती। आयोग का प्रयास है कि सामान्य जनता अपने अधिकारों से परिचित हो तथा हनन संबंधी मामलें को आयोग के संज्ञान में लाया जाय।

(03)

मानवाधिकार आयोग सरकारी सेवकों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास रत है। इस हेतु विभिन्न जिलों में सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर मानवाधिकार संबंधी मामलों की सूची बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

दिनांक 29.07.2016 को विभागों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु प्रधान सचिव/ सचिव स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था।

यह आयोग के प्रयासों का ही परिणाम है कि यहाँ दर्ज होने वाले मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है जहाँ वर्ष 2015 में आयोग में 6545 मामले दर्ज किये गये थे वही इस वर्ष 15 नवम्बर तक 7486 मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

आयोग में मामलों के निष्पादन की गति की तीव्र हुयी है। वर्ष 2015 में कुल 7620 मामलों का निष्पादन किया गया जबकि इस वर्ष 15 नवम्बर तक 8687 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।

आयोग की स्थापना से 15 नवंबर 2016 तक 39250 मामले दर्ज किये जा चुके हैं जिसमें से 30188 मामलों का निष्पादन किया गया है तथा 9062 मामले लंबित हैं।

विभिन्न मामले में इस वर्ष लगभग 15,82,92,000/- (पंद्रह करोड़ बैरासी लाख बेरानवे हजार) रू० के मुआवजे की अनुशंसा की जा चुकी है। इसमें लगभग 15 करोड़ रूपये के मुआवजे की अनुशंसा गर्भाशय निकालने वाले मामले में की गई है।

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)

ज्ञापांक —2005/सा०, मधेपुरा, दिनांक – 23 दिसम्बर 2016।

प्रतिलिपि - सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

23/12/16

प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा, मधेपुरा।
21/12/16 22-12-16